







संपादकीय

कोरोना के खतरे के बीच संसद की कार्यवाही गणतांत्रिक मूल्यों के प्रति विश्वास का उदाहरण

हम पहली बार देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई है। यह नियम और प्रयास स्वयंसाध्य है और गणतांत्रिक मूल्यों के प्रति विश्वास का मजबूत करता है।

हम पहली बार देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई है। यह नियम और प्रयास स्वयंसाध्य है और गणतांत्रिक मूल्यों के प्रति विश्वास का मजबूत करता है।

संसद भारत में कई जगह अज्ञान-जाने पर पाबंदी लगाई गई है। संसद का शुभ 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैठेगी और लोकसभा की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे से 7 बजे तक चलेगी।

ड्रैगन पर भारी भारतीय जांबाज

पिछले चार महीने से पूर्वी लद्दाख में एलएससी पर चीन ताबाव को कम करने के लिए भारत-चीन के बिदेसी मंत्रियों के बीच पांच सूत्रीय सहमति के बाद कड़ा जा रहा है कि यदि तब बिन्दुओं के अनुसार वार्ता आगे बढ़ती है तो इसके सार्थक परिणाम हो सकते हैं।

चीन अरुण सीमा तैयारियां बड़ा रहा है और रक्षासिमा भारत द्वारा भी अब अस्थापित से लेकर लद्दाख तक पूरे इलाके में एलएससी पर सेना को कई अल्टीमेटम भेज दिए गए हैं।

2013 में शामिल किए गए लगभग तीन फुटबॉल मैदानों के बराबर लंबे तथा करीब 22 मंजिली इमारत जितने ऊंचे आईएसएस विमानों के निर्माण पर तैयार हो चुके हैं।



चीनी सेना (पीएलए) पूर्वी लद्दाख में कथम गतिविधि पर सेना और राजनयिक वार्ता के जत्थे बनी आम सहमति का बचाव उद्देश्य करती रही है।

जहाँ से हमारे फुटबल जेठ आसानी से उड़ान भर सकते हैं।

जहाँ से हमारे फुटबल जेठ आसानी से उड़ान भर सकते हैं।

हिंदी दिवस या अंग्रेजी हटाओ दिवस?

भारत सरकार को हिंदी दिवस मनाने-मनाने 70 साल हो गए लेकिन कोई हमें बचाए कि सख्तीय समझना या जन-जीवन में हिंदी क्या एक कदम भी आगे बढ़े?

भाषाएँ हैं, उनका ही अर्थ। मैंने अंग्रेजी में अन्वया कस्ती, जर्मन और फ्रांसीसी पढ़ी लेकिन अपना अंतरराष्ट्रीय राजनीति का पीपेचुकी का

चाणक्य नीति बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है। पर निदा से बड़ा पाप निदा से बड़ा पाप निदा से बड़ा पाप निदा से बड़ा पाप

काम की बात एक सलाह वही जीवित है जिसका मस्तिष्क ठंडा, रक्त गरम, हृदय कोमल और पुरुषार्थ प्रखर है।

अपनी भाषा में हो शिक्षा और ज्ञान की साधना

भाषा संवाद में जन्म लेती है और उसी में पल-बढ़कर समाज में संवाद को रूप से संभव बनाती है। संवाद के बिना समाज भी नहीं बन सकता।

भाषा भावनात्मक, सांस्कृतिक, सुरक्षा और संस्कार का मांग प्रस्तुत करती है। ज्ञान के निर्माण, प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान सभी संभव होत हैं, उसकी भूमिकाओं के साथ भाषा को समीक्षक प्रतिक्रिया जुड़ी होती है।

विद्यार्थी स्तर से लेकर शोध के स्तर तक औपचारिक शिक्षा का माध्यम बनती चली। साथ ही भाषाओं को केवल उनके साहित्य तक सीमित न रखें।

भाषाओं के माध्यम से पहल होनी चाहिए। वही भी उल्लेखनीय है कि कला, शिल्प, खेल और देश-ज्ञान को अपनी भाषा में माध्यम से ही खोजा जा और संश्लेषित किया जा सकता है।



भाषा को सही का लक्षण ही व्यवस्था, राष्ट्र को कल्याण और सांस्कृतिक संरक्षण से अधिन रिखा है। भाषाओं का जन्म संस्कृति और सभ्यता के लिए भी खतरों की घंटी है।







झूटी से लौट रहे हेडकारटेबल की दुर्घटना में हुई मौत

माही की गूंज, रातमा। शहर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को झूटी से लौट रहे एक हेड कार्टेबल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। रावटी थाने में पदस्थ हेड कार्टेबल रामप्रकाश पिता रामरतन जाटव (59) थाने से अपना काम कर बाईक से घर लौट रहे थे कि, उमगाण पर्व मोरिया के बीच रास्ते में भैस आने से संतुलन बिगड़ने से बाईक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे हेड कार्टेबल घुरी तरह घायल हो गए। मौक पर मौजूद लोगों ने रामप्रकाश को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका चिकित्सक साठे 8 घंटे मौत हो गई।



सुप्रीम कोर्ट से बोली सरकार- सांसदों, विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामले तेजी से निपटार जाएं



नई दिल्ली, एजेन्सी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को पूर्व और वर्तमान सांसदों व विधायकों के खिलाफ लॉकडाउन आपराधिक मुकदमों को तेजी से निपटारने पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि, इन मामलों को एक निश्चित समय-सीमा में उनसे नतीजा निकालना जरूरी है। न्यायमूर्ति जस्टिस रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने समझ केंद्र की ओर से सल्लिखित जवाबत तुरार थाने में कहा कि, इन मामलों के तेजी से निपटारण के बारे में न्याय-विषय विचार हमसिया के सुझावों पर उन्हें कोई आग्रह नहीं है। मेहता ने कहा कि, अगर विधि निर्माताओं के खिलाफ लॉकडाउन मामलों में उच्च न्यायालय ने कार्रवाई कर लेना चाहता है, तो, शीर्ष अदालत को उसे ऐसे मामलों में निश्चित समय-सीमा के भीतर निष्पत्ति करने का निर्देश देना चाहिए। मेहता ने कहा, शीर्ष अदालत को भी निर्देश देना, भारत सरकार उसका स्वागत करेगी। उन्होंने कहा कि, यदि निष्पत्ति अदालतों में बुनियादी सुविधाओं से संबंधित कोई समस्या है तो शीर्ष अदालत संबंधित राज सरकार को ऐसे मामलों में ज्यादा से ज्यादा सहूलियत में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दे सकती है।

घर के आगे से नहीं हटाया तो करेंगे सरकारी भवन के आगे अतिक्रमण

निजी भूमि और घर के आगे के अतिक्रमण को हटाने की लगाई गुहार, राजस्व और पंचायत एक दूसरे को जिम्मेदार बताकर टाल रहे मामला

माही की गूंज, पेटलावदन। राखेरा गेटवेल

राजस्व न्यायालय मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत को चरितार्थ कर रही है, जिससे अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले राजस्व के जिम्मेदार लोगों की भेंट-पूजा कर लाखों करोड़ों की जमीनों पर अतिक्रमण कर हतियाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अतिक्रमणकर्ताओं ने राजस्व के अधिकारियों की कमजोरी का फायदा उठाकर लोगों की निजी भूमि के आगे भी अतिक्रमण कर लिया और खुद की भूमि के आगे से अतिक्रमण हटाने के लिए लॉग परेशान हो रहे हैं, कई बार राजस्व के अधिकारियों और ग्राम पंचायत से गुहार लगाते हैं बावजूद भी अतिक्रमण हटाने के नाम पर राजस्व और पंचायत एक-दूसरे को जिम्मेदार खड़ा रहे हैं, जबकि अतिक्रमणकर्ताओं से बढ़ी कीमत वसूलकर उनको न केवल सख्त दंड दे रहे हैं बल्कि बढ़िया भी देकर अवैध रूप से शासकीय भूमि बेचकर अपनी जेब भर रहे हैं।

आने-जाने का मार्ग भी बन्द कर दिया, किसी की निजी भूमि आगे पट्टी शासकीय भूमि पर काई उस भूमि स्वामी का अधिकार नहीं होता है, लेकिन इस प्रकार की भूमि का उपयोग निजी भूमि पर आबाजाई के लिए करते हैं। ग्राम बनी में ऐसे एक नती तीन मामलों सामने आए हैं, जहां घर के आगे बढ़ते अतिक्रमण से परेशान शहूदास बैरगी, नानू पिता भूमि मुनिया और कालू मचरा तीनों निवासी बनी में अनुविभागीय अधिकारी अतिक्रमण को हटाने के लिए आवेदन दिया है, पिस्ताल अनुविभागीय अधिकारी ने मामले को जॉच राजस्व निरीक्षक मयार को दी, लेकिन मामले में पहले भी शिकायत हो चुकी है, जिसे ऊपर-ऊपर ही



ननु भूमि निरीक्षक के घर के आगे रखी हुई अतिक्रमण कर अवैध सुप्री की निजी भूमि पर की जानेवाली हट्ट कर दी।



कालू मचरा के घर के आगे लम्बा खंड अतिक्रमण कर अवैध सुप्री की निजी भूमि पर की जानेवाली हट्ट कर दी।

अतिक्रमणकर्ताओं से वसूली कर दबाया जा रहा है मामला



शहूदास बैरगी के घर के आगे रखी हुई अतिक्रमण कर अवैध सुप्री की निजी भूमि पर की जानेवाली हट्ट कर दी।

बताया कि, यदि निजी आवस्य के आगे किये गए अवैध अतिक्रमण को प्रयास नहीं हटाया है तो हम भी उसी अतिक्रमण प्रक्रिया के साथ पहले गांव में बने शासकीय भवनों के आगे पट्टी खाली भूमि खाली गांव की दूसरी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लेंगे और आवश्यकता पड़ने पर तत्सम भूमि पर खाली पट्टी भूमि पर भी अतिक्रमण करेंगे। मामले में जॉच करने वाले राजस्व निरीक्षक से पहले शहूदास बैरगी ने जॉच करने वाले राजस्व निरीक्षक को हटाने का आदेश दे दिया। राजस्व विभाग के जिम्मेदार अतिक्रमणकर्ताओं को लॉन-टैन कर बचा रहे हैं, जिससे हम लॉन-टैन कर भी निजी भूमि पर बने परने में अपने-जाने के लिए परेशान उठनी पड़ रही और उठता अतिक्रमणकर्ता अपने अतिक्रमण को लगाकर बढ़ता जा रहा जिसकी कोई सूरू नहीं ले रहा।

शासकीय भवनों के आगे अब करेंगे अतिक्रमण

मामले से पछा झाड़ने की ताते कर शहूदास बैरगी, राजस्व विभाग का कहना है कि, मामला आबादी भूमि से जुड़ा है जिसका निराकरण पंचायत को ही करना है, हम रिफर्न्स-जॉच रिपोर्ट बनाकर दे देंगे।

बताते हैं कि, यदि निजी आवस्य के आगे किये गए अवैध अतिक्रमण को प्रयास नहीं हटाया है तो हम भी उसी अतिक्रमण प्रक्रिया के साथ पहले गांव में बने शासकीय भवनों के आगे पट्टी खाली भूमि खाली गांव की दूसरी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लेंगे और आवश्यकता पड़ने पर तत्सम भूमि पर खाली पट्टी भूमि पर भी अतिक्रमण करेंगे। मामले में जॉच करने वाले राजस्व निरीक्षक से पहले शहूदास बैरगी ने जॉच करने वाले राजस्व निरीक्षक को हटाने का आदेश दे दिया। राजस्व विभाग के जिम्मेदार अतिक्रमणकर्ताओं को लॉन-टैन कर बचा रहे हैं, जिससे हम लॉन-टैन कर भी निजी भूमि पर बने परने में अपने-जाने के लिए परेशान उठनी पड़ रही और उठता अतिक्रमणकर्ता अपने अतिक्रमण को लगाकर बढ़ता जा रहा जिसकी कोई सूरू नहीं ले रहा।

बताते हैं कि, यदि निजी आवस्य के आगे किये गए अवैध अतिक्रमण को प्रयास नहीं हटाया है तो हम भी उसी अतिक्रमण प्रक्रिया के साथ पहले गांव में बने शासकीय भवनों के आगे पट्टी खाली भूमि खाली गांव की दूसरी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लेंगे और आवश्यकता पड़ने पर तत्सम भूमि पर खाली पट्टी भूमि पर भी अतिक्रमण करेंगे। मामले में जॉच करने वाले राजस्व निरीक्षक से पहले शहूदास बैरगी ने जॉच करने वाले राजस्व निरीक्षक को हटाने का आदेश दे दिया। राजस्व विभाग के जिम्मेदार अतिक्रमणकर्ताओं को लॉन-टैन कर बचा रहे हैं, जिससे हम लॉन-टैन कर भी निजी भूमि पर बने परने में अपने-जाने के लिए परेशान उठनी पड़ रही और उठता अतिक्रमणकर्ता अपने अतिक्रमण को लगाकर बढ़ता जा रहा जिसकी कोई सूरू नहीं ले रहा।



शहूदास बैरगी, ननु और कालू मचरा के साथ।

बिना बर्तन लाए ही फर्जी बिल के साथ भ्रष्टों ने निकाल ली राशि दूसरे फर्जी बिल से भी निकाले 43 हजार

माही की गूंज, खखरलेडी। शिकार सावधानी

मेघनाथ जनपद की ग्राम पंचायत खखरलेडी में सचिव किशोरी कटार्या व सरपंच ने शिकार किए गए भ्रष्टाचार के खेत आत पर रात खूब रहे हैं। पंचायत में एक और भ्रष्टाचार फंड से आया है। दअसल शासन ने पंचायतों को गांव में सावधानी रूप से बर्तन देने के निर्देश पंचायत की गांव से बर्तन खूब देने के निर्देश दिए। लेकिन खखरलेडी पंचायत में वे बर्तन सिर्फकान्गोने में ही पहुंचे हैं। भ्रष्टाचार करने में माहिर एंव ग्रामीणों को झूठ बोल कर गुमाह करने वाले सचिव किशोरी कटार्या ने प्रतियुक्त भ्रष्टाचार के माहिल से मिलीभगत कर इसी दुबान से बर्तन खरीदी बनाकर 75 हजार का पंचायत लिफ्टार फंड से निकाला। जब सचिव कटार्या से सवाल किया गया तो, सचिव महेश्वर भ्रष्टाचार भी कर में बोलें की बर्तन ले आए हैं और

पंचायत के तीनों गांव में बाट दिए हैं। लेकिन जब प्रतियुक्त भ्रष्टाचार के माहिल से बात की गई तो वे झूठी आवाज से बोले की अभी बर्तन नहीं ले गए हैं और उम्मीद नहीं आवाज है। भ्रष्टाचार की बात खोले दी। सचिव किशोरी कटार्या और प्रतियुक्त भ्रष्टाचार के माहिल के विरोधाभास कदम से सचिव महेश्वर के कारनामे पूरी तरह से साफ हो गए। आसक्ति बावत कि, ये सचिव सचिव के किशोरी पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए युवक को उठाने-धकाने के लिए 'चौकी रम्पाउर' में एफआई.आर. दर्ज करने का एक आवेदन जहाँ कार्रवाई करवाया था की प्रमाण भ्रष्टाचार उभार करंगा या कुंठ केस में फसाकर जेल भिजा दे।

पंचायत में आए थे, 1 महीने के भीतर ही सचिव ने सरपंच के साथ मिलकर भ्रष्टाचार की दुबान शुरू करवा दिए। माही जिले में सरपंच के नाम पर 60 का सैमिटेड, तीन-तीन जूली-रुई, लिफ्टी खरीदी बनाकर 43 हजार का फर्जी बिल लाकर शिकार किया। इनके अलावा सरपंच-सचिव ने गणतंत्र दिवस पर बज्जो को बंद करने वाली लुट्टी को भी नहीं छोड़ा। सरपंच के चयने हे सचिव ग्रामीणों ने इस भ्रष्टाचार में सचिव को हटाने के लिफ्टी आवेदन भी दिया है। लेकिन सरपंच नहीं चाहते की उनके 'पेला सचिव' वह से हट, ताकी भ्रष्टाचार की दुबान बंद न हो। ग्रामीणों का कहना है कि, सरपंच निजि स्वयं में इतने अन्धे हो गये की वे भूल चुके हैं की वे 5 साल के लिफ्टी चुने जाने जनप्रतिनिधि। पंचायत कार्यालय खुल रहा है या नहीं, ग्रामीणों का काम



हो रहा है या नहीं, इससे सरपंच महोदय की कोई मतलब नहीं। ग्रामीणों के समर्थन में न आकर सचिव के साथ रहने आगामी चुनाव में सरपंच को महंगा पड सकता है। हम जनता है, शासन, कुर्सी पर बित्त जताने से बिल्ट सकते तो कुर्सी से हटा भी सकते हैं।

प्रशासन परत, गांव-गांव चल रही हैं अवैध मयखाने

माही की गूंज रातमा, राखेवदन सिंह अडिया

राजमा जिले में शरा कारोबारियों के हवादे इस कदर कुबड़ है कि सम्पूर्ण छेडे से देहातों से लेकर कई किलो तक में खुलेआम अवैध रूप से शराब बिकने जा रही है। अवैध शराब बिकने का मामला जिले में सरपंच भी है। शराब माफिया भी-भीरू पूरे क्षेत्र में अपने पकड़ साबूत करवा नगर आ रहे हैं, लेकिन राखेवदन समकूल भीरू कानूनी कार्यों पर लागू लागते हैं बजाय खुलाकर माफियाओं का सामने करवा नगर आ रहे हैं। सम्पूर्ण क्षेत्र में युवा शर्त जिले से नगे की शराब में आ रहा है, जिसका मुख्य कारण अवैध रूप से शराब का सरकला से उपलब्ध होना है। शराब के आसत में सरकला होने के कारण बहल्लों में पढ़ने वाले युवा छात्र भी इसका शिकार होते जा रहे हैं। जाकारी की मानें तो अल्पक से शराब मंगाना या उन्हें शराब बेचना अपराध की श्रेणी में आता है, बावजूद इसके शराब माफियाओं को इस बात का कोई डर नहीं है, उन्हें रिफर्न्स से कमाले से मारवा रहा है। एस्परी गौरव विद्यालय की अवैध शराब माफिया पर कार्रवाई दीली आबकारी विभाग को शराब से बंधे अवैध शराब के व्यापार को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग



चक्र में यह नुस्ते का कारोबार उभार करवाया जा रहा है, जिसका कारण आश्रमीयों की जीवनशैली पर बड़ा रहा है। अवैध शराब बिकने रोक्ने के लिए कानूनी शराब आबकारी अमला कर्षी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता, महज औपचारिकता निभाने के लिए कर्षी के कारनामे बहुत शराब जन कर अपनी खानपान को बचाववाही टूटी जाती है। किशोरी उक्त विभाग को काम सिर्फअवैध शराब को जाली पर रोक लगाना है, लेकिन सरपंचों द्वारा की गयी अनदेखी की जमाना क्षेत्र के लोग कुबड़ में मजबूर हैं। मामले में जब पुलिस से अवैध शराब बिकने के बारे में बात की जाती है तो, जब अंजन बनी पुलिस प्रक़र को अवैध शराब की जानकारी देते और कार्रवाई करने की बात कर कर प्रश्न पूछा लेते हैं।

चक्र में यह नुस्ते का कारोबार उभार करवाया जा रहा है, जिसका कारण आश्रमीयों की जीवनशैली पर बड़ा रहा है। अवैध शराब बिकने रोक्ने के लिए कानूनी शराब आबकारी अमला कर्षी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता, महज औपचारिकता निभाने के लिए कर्षी के कारनामे बहुत शराब जन कर अपनी खानपान को बचाववाही टूटी जाती है। किशोरी उक्त विभाग को काम सिर्फअवैध शराब को जाली पर रोक लगाना है, लेकिन सरपंचों द्वारा की गयी अनदेखी की जमाना क्षेत्र के लोग कुबड़ में मजबूर हैं। मामले में जब पुलिस से अवैध शराब बिकने के बारे में बात की जाती है तो, जब अंजन बनी पुलिस प्रक़र को अवैध शराब की जानकारी देते और कार्रवाई करने की बात कर कर प्रश्न पूछा लेते हैं।

चोरों ने की चोरी कबूल, पर पुलिस ने अवैध शराब का किया मामला दर्ज

माही की गूंज, खखरलेडी।

कैसे तो पुलिस को यह कहां अधिकार नहीं है कि, कोई व्यक्ति अपराध क्या करे और उस पर मामला कुंठ और दर्ज कर दे। मध्यप्रदेश में आबकारी अधिनियम 2000 के तहत धारा 34(2) में मामला दर्ज होने पर कई महीनों की जेल की हवा खानी पड़ती है, वहीं चोरों जैसे अपराध में चोरों को अंजाम देकर 2 से 4 दिन में ही कानूनी प्रक्रिया के बिना बाहर आ जाते हैं और अपराधी फिर से चोरी जैसे अपराध को अंजाम देते हैं। जैसे अवैध शराब के अतिक्रमण के लिए 50 टीलर से ऊपर शराब मिलने पर कानून को सख्त करवा दिए उसकी अमानत प्रक्रिया को जॉल्ट कर अमानत पर रोक लगाई है, उसी तरह अगर चोरों की घटनाओं को रोक्ने के लिए भी सरकार को चोरी का मामला दर्ज होने के बाद अमानत को जॉल्ट प्रक्रिया बन्दाने का प्रावधान संसद में पास करना आवश्यक है, ताकी चोरी जैसे अपराध में कमी आ सके। कैसे तो जिले में कई चोरों के मामले पुलिस अपने रिपोर्टों को दुबरा रखने के लिए अपराध दर्ज ही नहीं करती है, इतना ही नहीं बल्कि तक भी देखा गया है कि, चोरी जैसी घटना में शिकायत करने वाला का आवेदन तक पुलिस नहीं लेती है। वहीं जब किसी के यहाँ चोरी होती है तो परियार्दी द्वारा

ही अपने बल-बूते व अपने सूचना तंत्र पर चोर व चोरी गए सामान का खुलासा कर पुलिस को अमगत करवाता है, जिससे ऐसे कई मामले भी देखे गए हैं कि, चोरों से परेशान होकर पुलिस चोरी गये माल जप्त करती है और चोर चोरी कबूल भी कर लेते हैं पर पुलिस यह अच्छे तरह से जानती है कि, चोरी के मामले में यह चोर-दे-चोर या 8 दिन में ही बाहर आ जायेंगे और फिर चोरी को अंजाम देकर पुलिस का सर दर्द नहीं, खासकर चोरी की बाटन बारिश शुरू होने के साथ ही रबी की फसल करने तक खेतों में पड़े कृषि पत्र के साथ कई घरों के ताले तोड़कर चोरी को अंजाम देते हैं, तो कुछ-कुछ खुलासे होने पर चोरों का मामला दर्ज नहीं कर उस पर अवैध शराब जाली का मामला दर्ज कर उसे जेल भेज देते हैं। चुकी पुलिस से जानती है कि, आबकारी अधिनियम के तहत धारा 34(2) में चोरी करने वाला यह आरोपी कोस से कम इतने दिने जेल में जमाने रखी जब तक फसलें कटकर बाहर नहीं आ जाए और इतने दिने अंदर रहने के बाद चोरी जैसे

चोरी के आरोप में चोर कुछ दिन तो, शराब के मामले में रहता है कई महीनों जेल



चोरी की जाँचने में जनप्रतिनिधि ने रबी की शिकायत कर पुलिस की जरूरतनी को दिखाना।

अपराध को भी अंजाम नहीं देने की मंशा के साथ पुलिस चोरी जैसी घटना को अंजाम देने पर अवैध शराब का मामला दर्ज कर जेल भेज देती है कि बात कई बार चर्चाओं में रही है। ऐसा ही एक मामला खखरलेडी के अंतर्गत ग्राम नारसा में देखने को मिला, जिसकी शिकायत भी चोरों की पहिलों ने एस्परी कार्यालय में की है। यह है पूरा मामला दरियावर सिंह माल की पानी की मोटर 29 जुलाई को चोरी हो गई, जिसकी खबर पुलिस से न कोई शिकायत ली न कोई एफआईआर दर्ज की। परंतु दरियावर सिंह माल ने अपनी चोरी गई मोटर व चोरी को खोज निकाला, जिसके बाद उसकी मोटर की चोरी करने वाले चोर के नाम व चोरी गई मोटर काई है की पूरी जानकारी खवास पुलिस को दी। पुलिस नारोला पहुंची और तेजुडी पति कालू वसुनिया के खेत के कुएं में से चोरी गई मोटर व मोटर की चोरी करने वाले चोर कालू वसुनिया, मुंकेरा गवाला व दलसिम निवासी नरला को पुलिस खवास चोरी को 5